न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 27/2022

आरसीएमएस नं. 2022/27

भोली पुत्री तिलोकाराम पत्नी सोहनलाल जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हाल आबाद ढ़ाणी चक 3 बी.आर.डब्ल्यू. बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. बनवारी वल्द भूराराम जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
2. कमल
3. संजय

   पिसरान महावीर जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
4. लूणाराम वल्द किशनाराम जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हाल आबाद ढ़ाणी चक 3 बी.आर.डब्ल्यू. बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
5. रेंवती बेवा रामजस
6. रूघवीर वल्द रामजस

   जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद हाल आबाद ढ़ाणी चक 3 बीआरडब्ल्यू बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. ख्यालीराम वल्द रामजस जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
8. भादर
9. करनीराम

   पिसरान ईशर जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
10. भागीरथ वल्द ईशर जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) हाल आबाद ढ़ाणी चक 1 बी.आर.डब्ल्यू. बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. अमीरचंद वल्द ईशर जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
12. गिरदावरी पुत्री ईशर पत्नी भागीरथ जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) हाल आबाद चक 4–5 आर.डब्ल्यू.बी. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. लिछमा बेवाा सुरजाराम
14. बंशीलाल वल्द सुजाराम

    जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
15. गुड्डी पुत्री सुरजाराम पत्नी दुलीचंद जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) हाल आबाद चक 6 आर.डब्ल्यू.एन. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

16. श्योकोरी पुत्री सुरजाराम पत्नी लालचंद निवासी बेहरवाला खुर्द हाल आबाद चक 19 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
17. मनोहरी पुत्री सुरजाराम पत्नी शंकर जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
18. केसर पुत्री सुरजाराम पत्नी राजाराम जाति बावरी निवासी बेहरवाला खुर्द हाल आबाद किशनुपरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

——रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.09.2012
द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
अनवान ''बनवारी बनाम कमल आदि'' प्र. सं. 457/2012

उपस्थितिः—
श्री, अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता अपीलांट
श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री राजेश दीपराय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 14

निर्णय दिनांक 21.X.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या—1 बनवारी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''बनवारी बनाम कमल आदि'' प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम से चक नम्बर 3 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 86/74 में कुल 5.035 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है व चक नम्बर 3 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 14/11 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से 4.554 हैक्टेयर आराजी तथा अप्रार्थी संख्या—3 के नाम से खाता संख्या 105/92 में 1.518 हैक्टेयर आराजी तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाम से खाता संख्या 154/137 में 4.328 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 6 ता 17 के नाम से 2.429 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी सन् 1990 से लेकर आज तक अप्रार्थीगण की आराजी चक नम्बर 3 बीआरडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 227/320 किला नम्बर 21, 22, 23, पत्थर नम्बर 227/321 किला नम्बर 4, 5, पत्थर नम्बर 226/320 किला नम्बर 24, 25 में से होकर प्रवेश करता आ रहा है। उक्त रास्ता बाबत अप्रार्थी संख्या—3 के पिता अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के पिता तथा अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 17 के पति व पिता द्वारा एक राजीनामा पंचायती फैसला दिनांक 11.01.1990 उक्त किलों में चालू रास्ता बाबत किया हुआ है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है व प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि चक 3 बीआरडब्ल्यू के पत्थर नमबर 227/320 किला नम्बर 21, 22, 23, पत्थर नम्बर 227/321 किला नम्बर 4, 5, पत्थर नम्बर 226/320 किला नम्बर 24, 25 प्रत्येक किला में से एक बिस्वा चौड़ा रास्ता व प्रत्येक बीघों में

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

लम्बा रास्ता रिकार्ड में स्वीकार करवाना चाहता है। रास्ता रिकार्ड में अंकन नहीं होने से व इसके अलावा अन्य ओर रास्ता प्रार्थी के पास नहीं होने से प्रार्थी को आवागमन करने में परेशानी होती है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की चक नम्बर 3 बीआरडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 227/320 किला नम्बर 21, 22, अप्रार्थी संख्या–3 की भूमि पत्थर नम्बर 227/320 किला नम्बर 3, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की भूमि पत्थर नम्बर 227/321 किला नम्बर 4, 5 तथा अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 17 की संयुक्त खाता की आराजी इसी चक के पत्थर नम्बर 226/320 किला नम्बर 24, 25 प्रत्येक किला में से एक बिस्वा चौड़ा रास्ता व प्रत्येक बीघों में लम्बा रास्ता रिकार्ड में गैरमुमकिन अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर इकबालदावा पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त रास्ता मौका पर चालू है तथा उपरोक्त चालू रास्ता बाबत एक पंचायती फैसला राजीनामा दिनांक 11.01.1990 किया हुआ है तथा प्रार्थी सन् 1990 से उपरोक्त चालू रास्ता से होकर अपनी आराजी को काश्त करता चला आ रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र की दफा–3 में दर्ज अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किया जाकर रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 ता 17 को तलब करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अप्रार्थी संख्या–3 के पिता अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 12 ता 17 के पति व पिता द्वारा पंचायती समझौता दिनांक 11.01.1990 लिखकर दिया हुआ है इसलिए मुताबिक पंचायती समझौता दिनांक 11.01.1990 के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 10.09.2012 को पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील दफा–5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है।

2. अपीलांट ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की तथा लिखित बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या–1/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने स्वयं हाजिर आकर इकबालदावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने ही प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना लिपिक की रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र गलत रजिस्टर्ड करने के आदेश दिये हैं। धारा 251–क के तहत कोई अधिभारी या अधिभारियों का समूह अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की कृषि भूमि में नया रास्ता चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता तो धारा 251–क के अन्तर्गत जिसकी कृषि भूमि में नया मार्ग बनाने का अधिकार मंजूर किया जाता है तो प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी अवधारित करे, अनुज्ञात कर सकेगा। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने 251–क के नियमों की अवहेलना करते हुए संक्षिप्त जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या–1/प्रार्थी बनवारी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में उसकी कृषि भूमि के लिए रास्ता पूर्व से ही मौजूद है। उक्त स्थिति में नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी नियम 69 व 70 की पालना नहीं की जो आज्ञापक है।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट अनुसूचित जाति की ग्रामीण अनपढ़ महिला है। अपीलांट अपनी आराजी किला नम्बर 23 को लगातार काश्त कर रही है। अपील के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें अपीलांट की फसल काश्त है। दिनांक 11.01.2022 को रेस्पोडेंट बनवारी द्वारा अपीलांट की कृषि भूमि किला नम्बर 23 में जबरदस्ती रास्ता चालू करने की नाजायज व असफल कोशिश करने पर अपीलांट द्वारा मना करने पर रेस्पोडेंट बनवारी द्वारा अपीलांट को धमकी दी गई कि वर्ष 2012 में उक्त वर्णित आराजी में अपीलांट की गैर मौजूदगी में रास्ता स्वीकृत करवाकर जमाबंदी में अंकन करवा लिया है तब अपीलांट ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो अपीलांट को दिनांक 12.01.2022 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तो अपीलांट ने इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 13.01.2022 को जिला अभिलेखागार प्रतिलिपी शाखा से नकल प्राप्त करने के बाद फीस व खर्चा का इन्तजाम करने के पश्चात् दिनांक 31.01.2022 को अपील प्रस्तुत की है। पूर्व में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का जानकारी व इल्म नहीं था अपील में हुई देरी माफ किये जाने लायक है तथा अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जावे। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 403, आरआरटी 2022 (1) पेज 179 व 693, 493, तथा पेज 541 व आरआरटी 2016–2017 (सप्लीमेंट्री) पेज 677, आरआरटी 2019 (2) पेज 1543, आरआरटी 2021 (2) पेज 1286, आरआरटी 2018–2019 (सप्लीमेंट्री) पेज 404, 598, आरआरटी 2019 (1) पेज 403, आरआरटी 2017 (2) पेज 1104 प्रस्तुत की तथा निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे।

3. रेस्पोडेंट ने मौखिक बहस में निवेदन किया कि अपीलांट के पिता तिलोकाराम पुत्र रामूराम व रामजस पुत्र किशनाराम, फूसाराम पुत्र तेजाराम, सुरजाराम पुत्र ईशरराम ने दिनांक 11.01.1990 को अपनी सहमति से पत्थर नम्बर 227/321 किला नम्बर 4, 5 पत्थर नम्बर 327/320 किला नम्बर 21, ता 25 में अपनी अपनी सहमति से रास्ता दिया जिसकी लिखित भी दिनांक 11.01.1990 को लिखी गई। रेस्पोडेंट के पास प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था तथा इस रास्ता की एवज में इस लिखित में यह स्पष्ट उल्लेख किया कि रामजस जो 2 बीघा में रास्ता की जमीन छोड़ेगा वह तिलोकाराम से लेगा व तिलोकाराम आगे 1 बिस्वा जमीन सुरजाराम से लेकर सुरजाराम हरीराम पुत्र भूराराम से रास्ता की एवज में जमीन तबादला में देगा हरीसिंहके सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश मुताबिक पंचायती फैसला दिनांक 11.01.1990 के आधार पर पारित किया है। अपीलांट ने पंचायती फैसला दिनांक 11.01.19909 के विरूद्व कोई कथन नहीं किये व ना ही अपनी लिखित बहस कोई कथन किये। अपीलांट की इस सम्बंध में मौन स्वीकृति है। पत्थर नम्बर 227/320के किला नम्बर 21 ता 25 तक रास्ता स्वीकृत है। अपीलांट अपनी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 227/320 के किला नम्बर 17, 18, 23, 24 व पत्थर नम्बर 227/321 किला नम्बर 3, 8 के लिए पत्थर नम्बर 227/321 के किला नम्बर 2 व 5 में जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत किया है, से आवागमन करता है इस रास्ता के अलावा अपीलांट को कोई रास्ता नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की कृषि भूमि अपीलांट की कृषि भूमि के चिपते भूमि है। अपीलांट की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 227/320 के किला नम्बर 23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के चिपते रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के किला नम्बर 22 है। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के लिये सबसे कम दूरी का रास्ता है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की भूमि से अपीलांट की भूमि के लिए रास्ता जाता है। मौका पर रास्ता चालू है। इस सम्बंध में ग्राम पंचायत की तस्दीक प्रस्तुत है। चूंकि प्रश्नगत रास्ता लिखित दिनांक 11.01.1990 के आधार पर है जो कि एक सहमति पत्र है, को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये हैं। जहां सहमति दी गई हो वहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के नियम 69 व 70 के तहत मौका निरीक्षण की रिपोर्ट मंगवाई जानी आवश्यक नहीं है। अपीलांट ने यह कथन किया है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया, लेकिन अपीलांट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रश्नगत रास्ता के अलावा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के लिये ओर कोई विकल्प में स्वीकृत शुदा रास्ता है या नहीं। वास्तव में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की भूमि के लिए प्रश्नगत रास्ता के अलावा ओर कोई रास्ता नहीं है। जहां तक कि रेस्पोडेंट संख्या–1 की कृषि भूमि के लिए रास्ता पहले से ही स्वीकृत होने का कथन है, इससे अपीलांट के कोई हित प्रभावित नहीं होते क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या–1 की कृषि भूमि के लिये जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 व अन्य काश्तकार की भूमि में स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 8, 9, 10 व 14 ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर पंचायती राजीनामा दिनांक 11.01.1990 को स्वीकार किया है तथा मौके पर उक्त राजीनामा लागू होने के कथन किये हैं। अपीलांट ने यह भी कथन नहीं किये कि उसे अपनी भूमि में जाने के लिए कौनसा रास्ता है तथा दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत रास्ता पुराना मौकं पर चला आ रहा है। इस सम्बंध में फोटो स्नेप प्रस्तुत की तथा प्रश्नगत रास्ता में ग्राम पंचायत द्वारा पक्की पुलिया भी निर्मित की गई है जो अर्सा 5 वर्ष पूर्व की गई थी। प्रश्नगत रास्ते का इन्द्राज जमाबंदी में सन् 2012 में ही अंकन हो चुका है। अपीलांट ने ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर चालू रास्ते की तस्दीक के विरूद्व कोई कथन नहीं किये हैं। अपीलांट को आक्षेपित आदेश का शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपील अर्सा पौने दस वर्ष पश्चात् प्रस्तुत हुई है अपील को देरीना से पेश की है। पौने दस वर्ष की देरीना के सम्बंध में अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई कथन नहीं किये मात्र 12.01.2022 को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पटवारी हल्का से होने के कथन किये हैं। इस सम्बंध में पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अपील अपीलांट मियाद बाहर है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.09.2012 विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. सर्वप्रथम अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस उसे प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली में ऐसा नोटिस जारी करने व उसे प्राप्त करने की कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त परिस्थितियों में दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का अंतिम निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पंचायती फैसला दिनांक 11.01.1990 व ग्राम पंचायत बेरवाला के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया है। अपीलांट ने अपनी मिमो ऑफ अपील व लिखित बहस में लिखित दिनांक 11.01.1990 के सम्बंध में कोई कथन नहीं किये। उक्त लिखित में मुआवजा के रूप में

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रास्ता में आई भूमि की एवज में भूमि देने का उल्लेख है। अपीलांट की स्वयं की कृषि भूमि के लिए भी पत्थर नम्बर 227/321 के किला नम्बर 4, 5 प्रश्नगत रास्ता ही है। जहां तक अपीलांट का यह तर्क कि उसे सुनवाई का मौका नही दिया तो इस न्यायालय में भी अपीलांट यह बताने में असमर्थ रही है कि रेस्पोडेंट 2 व 3 को प्रश्गनत रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो। इस सम्बंध में अपीलांट ने अपनी मिमो ऑफ अपील, लिखित बहस व मौखिक बहस में कोई कथन नहीं किये हैं। रेस्पोडेंट संख्या–1 की भूमि के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता होने के कथन व रिकार्ड प्रस्तुत किया है। चूंकि रेस्पोडेंट संख्या–1 की भूमि के लिए स्वीकृत किया गया रास्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 तथा अन्य काश्तकार की है जिससे अपीलांट के कोई हित प्रभावित नहीं होते। रेस्पोडेंट संख्या 8, 9, 10 व 14 द्वारा उक्त पंचायती लिखित मौका पर लागू होने के सम्बंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिसका कोई खण्डन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा लिखित दिनांक 11.01.1990 के विरूद्व कोई कथन न करना अपीलांट की मौन स्वीकृति है। अपीलांट ने इस न्यायालय में भी प्रश्नगत रास्ता के अलावा ओर कोई रास्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को हो, इस सम्बंध में कोई तथ्य बताने में असमार्थ रही है। उक्त परिस्थितियों में अपील अपीलांट खारिज की जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

21.X.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़